न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री राधेश्याम आर.ए.एस.

मुकदमा सं. 17 / 2019

दायरा दिनांक :– 14.10.2019

सायल

मृतक मोहनसिह पुत्र मानसिंह के वेधिक वारीशान जोधसिंह पुत्र मोहनसिंह फौत के वेधिक वारीशान

1. अजीतसिंह पुत्र स्व. जोधसिंह जाति राव,

2. गणपतसिंह पुत्र स्व. जोधसिंह जाति राव निवासीगण नारलाई तह. देसूरी जिला पाली

3. सुमनकंवर पत्नी जोधसिंह जी राव निवासी नारलाई तहसील देसूरी

बनाम

गैर सायल

1. लेहरकवर बेवा मानसिंह फौत उसके वेधिक वारीशान

1/1 मोहनसिंह पुत्र मानसिंह फौत जिसके वेधिक वारीशान

1/1/1 पवनकंवर पुत्री स्वर्गीय मोहनसिंह पत्नी देवीसिंह जाति राव निवासी गुकली, तह. आमेट जिला राजसमंद

1/1/2 मनोहरकंवर पुत्री स्व. मोहनसिंह जी पत्नी नरपतसिंह जाति राव निवासी आमेट तहसील आमेट, जिला राजसंमद

2. मृतक देवकवर पुत्री लेहरकवर के वेधिक वारीशान

2/1 मांगु कंवर पुत्री किशनसिंह

2/2 भैरूसिंह पुत्र किशनसिंह फौत

2/2/1 शंकरसिंह पुत्र भैरूसिंह

2/2/2 गीता पुत्री भैरूसिंह

2/2/3 किरण कंवर पुत्री भैरूसिंह

2/2/4 ललितसिह पुत्र भैरूसिंह

2/2/5 दरीया कवर बेवा भैरूसिंह

3. बहादुरसिंह पुत्र किशनसिंह

4. रतनसिंह पुत्र किशनसिंह

5. रसाल कंवर पत्नी जोधसिंह

6. योगीताकुंवर तथाकथित पुत्री जोधसिंह

7. हुकमकंवर पुत्री जोधसिंह

8. सुरजीतसिंह पुत्र जोधसिंह

9. दलपतसिंह पुत्र जोधसिंह

10. तखतसिंह पुत्र जोधसिंह जातिगण राव निवासीगण नारलाई, तहसील देसूरी जिला पाली

11. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी देसूरी जिला पाली

अति [illegible] (सीलिंग)
पाली (राज.)

मुकदमा सं. 17/2019

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–
(1) अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपूरोहित उपस्थित
(2) राजकीय पेरोकार उपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 27/01/21

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम तहसीलदार देसूरी के आदेश दिनांक 17.09.2019 जो नारलाई ग्राम के म्यूटेशन संख्या 2587 को स्वीकृत करने संबंधी पारित किया है। उस आदेश के विरूद्ध यह अपील इस अदालत में पेश हुई, जो बाद जांच अपील दर्ज की गई रेस्पोडेण्ट को नोटिस जारी किया, बाद तामिल नोटिस रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित। उनके विरूद्ध एकतरफा आदेश दिया तथा सम्बन्धित म्यूटेशन संख्या 2587 तहसीलदार देसूरी से तलब किया गया। अपीलाण्ट को सुना गया। ग्राम नारलाई तहसील देसुरी के खसरा नम्बर 2013 रकबा 4.1200 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में मृतक लेहर कंवर पत्नी मानसिंह का राजस्व रेकर्ड में 1/3 हिस्सा दर्ज था। लेहर करंवर का देहान्त दिनांक 04.10.2000 को हो गया, उसकी जगह हल्का पटवारी ने रेस्पोडेण्ट लेहर कंवर व लेहर कंवर के वारिशान का नाम खोला गया। जबकि लेहर करंवर का देहान्त दिनांक 04.10.2000 को हो गया। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार तथा संशोधित हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार माता पिता के देहान्त होने पर पुत्री को समान अधिकार नही दिये जा सकते। लेकिन यहां पर लेहर कंवर की पुत्री देव कंवर व मनोहर कंवर, पवन कंवर, दरिया कंवर, किरण कंवर, गीता कंवर ललितसिंह, शंकरसिंह, बहादुरसिंह, रतनसिंह व मांगी कंवर का नाम भी दर्ज करते हुए म्यूटेशन स्वीकृत किया है, जिस संबधी अपीलाण्ट अधिवक्ता के द्वारा कानूनी रूप से ऐतराज किया है। यही नही रसाल कंवर जो रेस्पोडेण्ट संख्या 5 है, जो अपने नाम को जोधसिंह की पत्नी प्रकट की है और उनसे होने वाली संतान दलपतसिंह, सुरजीतसिंह, तखतसिंह को रसाल कंवर व जोधसिंह के पुत्र बताये गये है व योगिता कंवर व हुकम कंवर को पुत्री बताया है, जो कानूनी तौर पर ये उसके वैधानिक वारिशान नही हो सकते, चूकि जोधसिंह की पत्नी सुमन कंवर अपीलाण्ट जीवित थी व जीवित है, उसके जीवित रहते हुए हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत रसाल कंवर जोधसिंह की पत्नी नही बन सकती थी। ऐसी सूरत में रेस्पोडेण्ट संख्या 5, 6, 7, 8, 9 व 10 जोधसिंह के सम्पति पर कोई कानूनी अधिकार नही रहते है। ऐसा म्यूटेशन करने में अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है। यह नही लेहर कंवर के पति मानसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के तारीख 14.07.1975 को अपनी पत्नी लेहर कंवर व पौते की बहु सुमन कंवर के पक्ष में बहिस्सा बराबर बक्शीस किया है। इस तरह भी सुमन कंवर सम्पूर्ण आराजी में अपना आधा हिस्सा वैसे भी हक रखती है और आधा हिस्सा लेहर कंवर के देहान्त होने पर उसके पति जो मानसिंह थें उनके वारिश मोहनसिंह व मोहनसिंह के पुत्र जोधसिंह के पुत्र अजीतसिंह, गणपतसिंह व सुमन कंवर वैधानिक वारिश है। इसलिये कानूनी रूप से मानसिह के सम्पत्ति में अपीलाण्ट का बहिस्सा बराबर बनता है, जो

अति जिला कलक्टर (सामान्य)
पाली (राज.)

अधिनस्थ तहसीलदार ने सही रूप से बिना जांच किये जाने योग्य है। उक्त म्यूटेशन संबंधी सुमन कंवर ने लगातार आपत्तियां भी पेश की है ग्राम पंचायत, तहसीलदार व जिला कलेक्टर को भी निवेदन था। ऐसी सूरत में ऐसे म्यूटेशन का निर्णय विवादित मानते हुए धारा 135 (2) आर.एल. आर के तहत निर्णय करना था, लेकिन उन्होनें धारा 135 (1) आर.एल. आर के तहत निर्णय किया है जो गलत है। इस कारण भी उक्त निर्णय निरस्त करने योग्य है। अपीलाण्ट का यह भी तर्क है अधिनस्थ तहसीलदार ने म्यूटेशन स्वीकृत किया है उसमें साक्ष्य सबूत विधिक वारिशान की बिना जांच किये ही अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश म्यूटेशन स्वीकृत करने संबंधी दिया है जो गैर कानूनी है जिसे निरस्त किया जाये।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध म्यूटेशन संबंधी अध्ययन किया। वास्तव में उक्त म्यूटेशन पर न तो लेहर कंवर के पति मानसिह ने बक्शीसनामा की प्रति उपलब्ध है और न ही इस बात की जांच हुई है कि जोधसिंह की पत्नी सुमन कंवर जीवित है और उसके जीवित रहते हुए हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत रसाल कंवर जोधसिंह से शादी नही कर सकती थी, फिर भी करना बताया है, जिस बात का भी साक्ष्य सबूत पत्रावली में नही है और न ही अधिनस्थ तहसीलदार ने इस बात की जांच की है कि सुमन कंवर के जीवित रहते हुए रसाल कंवर शादी कर सकती थी या नही । क्या वह संतान वैध है या नही। इस बात की भी जानकारी नही है ऐसी सूरत में उक्त म्यूटेशन स्वीकृत करने संबंधी मै वैधानिक तौर पर उचित नही समझता हूॅ।

अतः आदेश दिया जाता है कि तहसील देसुरी के आदेश दिनांक 17.09.2019 को ग्राम नारलाई के म्यूटेशन संख्या 2587 को स्वीकृत करने संबंधी आदेश पारित किया है उसे निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ तहसीलदार को इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित की जाती है कि सभी पक्षकारान को अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट को समुचित नोटिस तामिल कराते हुए जवाब साक्ष्य सबूत लेकर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक...27/01/21...को खुले न्यायालय में सुनवाया गया ।

(राधेश्याम)
अति जिला कलेक्टर (सोलिंग)
आर.ए.एस.